

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)
पीठारसीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

2

प्रकरण सं० 18/2025

दायर दिनांक: 14.02.2025

उनवान

राधाकिशन पि. भंवरलाल जाति नाई नि. सुनेल तहसील सुनेल

- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

दिनांक : 01/05/2025

वादी राधाकिशन पि. भंवरलाल जाति नाई नि. सुनेल तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती वाद पत्र पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड, राधाकिशन का आधारकार्ड (607128073368), जनाधार कार्ड (4865128067), विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र दिनांक 23.08.2014 पेनकार्ड (JRWPK 1772 H), बैंक खाता पासबुक, ग्राम सुनेल का नामा.सं. 813 दिनांक 17.09.1982, तहसीलदार सुनेल की जांच रिपोर्ट पत्रांक 214 दिनांक 17.03.2025 एवं ग्राम पंचायत सुनेल के प्रमाण पत्र दिनांक 04.12.2024 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 136 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (वादी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है -

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम सुनेल पटवार मण्डल सुनेल तहसील सुनेल	136	किशोर पि. भंवरलाल	राधाकिशन उर्फ किशोर पि. भंवरलाल

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड राज.

दिनांक 01/05/2025

क्रमांक:- राजस्व/2025/

प्रतिलिपी - तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड राज.

